न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 07/21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 56

बउनवानी:—गणेश पुत्र स्व0 घनश्याम जाति जाट निवासी फूसोदा तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. राधेश्याम पुत्र गोपी जाट निवासी फूसोदा तहसील सवाईमाधोपुर
3. कमली बेवा स्व0 श्री घनश्याम जाट निवासी फूसोदा तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 47 निर्णय दिनांक 22.12.2001 वाके ग्राम फूसोदा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—		
	1. श्री हरिमोहन जाट	वकील अपीलान्ट
	2. श्री हरिकेश मीना	वकील रेस्पोडेण्ट
	3. श्री तुलसीराम शर्मा,	नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 23.01.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 47 निर्णय दिनांक 22.12.2001 वाके ग्राम फूसोदा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा विवादित नामा0 संख्या 47 निर्णय दिनांक 22.12.2001 वाके ग्राम फूसोदा अपीलान्ट के पिता घनश्याम पुत्र गोपी जाट के देहान्त के उपरान्त अपीलान्ट एवं उसकी मॉ कमली बेवा घनश्याम जाट के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है किन्तु उक्त नामा0 मे अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर गणपत अंकित कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम गणेश पुत्र घनश्याम जाट है कथन के समर्थन में अपीलान्ट का आधार कार्ड, जनाधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि पेश कर आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का [illegible] नाम गणेश पुत्र घनश्याम जाट करने बाबत निवेदन किया है। आदेश जैर [illegible] की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.11.2022 को प्राप्त होने से ज[illegible] मियाद दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील रेस्पो. एवं पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम गणेश पुत्र घनश्याम जाट ही है आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर गणपत अंकित किया गया है जो गलत किया गया है। अतः अपीलान्ट का नाम आदेश जैर अपील में गणपत के स्थान पर गणेश किये जाने पर रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नही है तथा अपीलान्ट का नाम संशोधित किये जाने पर रेस्पोडेण्ट एवं राज्य सरकार का कोई हित भी प्रभावित नही होता है। अतः आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का गलत नाम होने से नामा0 संख्या 47 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, जनाधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि से अपीलान्ट का सही नाम गणेश होने की आंशिक पुष्टि होती है चूंकि आदेश जैर अपील गणेश पुत्र घनश्याम जाट के स्थान पर गणपत पुत्र घनश्याम जाट के नाम से भरकर दर्ज फैसल होने के कारण विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 47 निर्णय दिनांक 22.12.2001) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को अपना सही नाम गणेश होने की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के सही नाम की पुष्टि की जाकर पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner